न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र संख्या : 03/2020

सत्यनारायण आत्मज गोपाललाल जाति ब्राहम्ण निवासी सेठ जी का चौक बून्दी(राज0)।

—प्रार्थी

बनाम

1. गजानन्द आत्मज हीरालाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम नृसिंहपुरा तहसील व जिला बून्दी(राज0)।
2. मोहनलाल आत्मज रतनलाल जाति गूर्जर निवासी हरिपुरा तहसील व जिला बून्दी(राज0)।
3. खुर्शीद भाई ए एस आई पुलिस थाना सदर जिला बून्दी
4. प्रमोद गूर्जर कांस्टेबल सदर थाना बून्दी।
5. सोनिया कुमावत वर्तमान पटवारी हल्का भैरूपुरा औझा तहसील व जिला बून्दी(राज0)।
6. सत्यनारायण मीणा आत्मज ग्यारसी लाल मीणा निवासी भैरूपुरा औझा तहसील व जिला बून्दी(राज0)।
7. भंवरलाल आत्मज हीरालाल गूर्जर निवासी बालापुरा तहसील व जिला बून्दी(राज0)।

—अप्रार्थीगण

उपस्थित वक्त बहस :— 1. श्री लीलाधर सिंह, अभिभाषक, प्रार्थी की ओर से।
2. श्री प्रकाश चन्द भण्डारी, अभिभाषक, रेस्पो0 1,2,6,7 की ओर से।
3. श्री उमेश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 10.08.2023

1. प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 39 नियम 2–ए व्यवहार प्रकिया संहिता वास्ते कन्टेम्ट ऑफ कोर्ट प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय हाजा की अपील संख्या 57/2011 मे पारित आदेश दिनांक 19.03.2015 के विरूद्ध उक्त प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलांट की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी के निर्णय दिनांक 19.05.2017 के विरूद्ध न्यायालय हाजा मे अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 57/2011 पर दर्ज रजिस्टर की गई। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत उक्त अपील मे न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 19.03.2015 को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4(हस्तगत प्रार्थना–पत्र के अप्रार्थी संख्या 1 व 2) व अन्य को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया कि वह ग्राम भैरूपुरा तहसील व जिला बून्दी की आराजी नम्बर 634 रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा पर अपीलांट के कब्जे काश्त के किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे। उक्त भूमि को रहन बेचान एवं खुर्द–बुर्द नहीं करे तथा उक्त कृत्य न तो वह करे न ही अपने किसी प्रतिनिधी आदि से करावे।

3. अधिवक्ता प्रार्थीग की ओर से न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत अपील संख्या 57/2011 में पारित निर्णय दिनांक 19.03.2015 के निर्णय के संबंध मे यह कन्टेम्पट प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किये जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 5 से 7 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1, 2, 6, 7 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट तलब किये जाने बाबत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर प्रार्थी सत्यनारायण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा उक्त प्रार्थना–पत्र पर उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। तहसीलदार बून्दी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर विवादित आराजीयात की मौका रिपोर्ट उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तैयार कर न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया। तहसीलदार बून्दी द्वारा दिनांक 09.07.2022 को मौका पर्चा तैयार कर अपने पत्रांक 1061 दिनांक 11.07.2022 से न्यायालय हाजा में प्रेषित किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

5. अधिवक्ता अपीलांट प्रार्थीगण ने अपनी बहस मे अपील प्रार्थना–पत्र मे अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 634 रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा जिसके पुराने खसरा नंबर 534 रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा ग्राम गैरूपुरा ओझा तहसील एवं जिला बून्दी में स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि

पर प्रार्थी व उसके पूर्वज गत 140 सालो से निरन्तर अब तक काबिज चले आ रहे है तथा लगान पिलाई जमा करते चले आ रहे है। गत 140 वर्षो से राजस्व रिकार्ड में अंकित खातेदारान का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है राजस्व रिकार्ड में अंकित खातेदारान ने उक्त भूमि पर कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी के विरूद्ध 183 राज०टी०एक्ट के अंतर्गत दिनांक 19–5–2008 को बेदखली का दावा किया था जो दिनांक 8–6 11 को खारिज हो चुका है। इस प्रकार कब्जा लेने की मियाद भी खातेदारान की समाप्त हो चुकी है राज०टी०एक्ट के प्रावधानों के अनुसार उक्त भूमि का प्रार्थी खातेदार बन चुका है इसके अतिरिक्त कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी उक्त भूमि का खातेदार बन चुका है। खातेदार व विपक्षी संख्या 1 व 2 राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन का लाभ उठाकर एक गिरोह बनाकर उक्त भूमि पर कब्जा करने की नियत से प्रार्थी को धमकी दे रहे है इसलिए उक्त भूमि का खातेदार प्रार्थी को घोषित किया जाये एवं विपक्षीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाये कि वे उक्त भूमि पर बलपूर्वक कब्जा नहीं करे प्रार्थी के शान्ति पूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करे उक्त आशय का एक दावा प्रार्थी ने श्रीमान एस डी ओ साहब यून्दी के न्यायालय में पेश कर रखा है जिसकी मिसल संख्या 113 / 2008 है एवं उसका उनवान सत्यनारायण बनाम दुर्गा शंकर वगैराह है जिसमें आगामी तारीख पेशी 17–1–2020 नियत है। उक्त दावे के साथ ही प्रार्थी ने अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु एक प्रार्थना पत्र उपरोक्त तथ्यो को अंकित करते हुए श्रीमान एस डी ओ साहब के यहां पेश किया था उक्त प्रार्थना पत्र दोनो पक्षो को सुनकर दिनांक 28–7–11 को इस आधार पर खारिज कर दिया कि खातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त निर्णय दिनांक 28–7–2011 के विरूद्ध प्रार्थी ने श्रीमान के न्यायालय में अपील पेश की उक्त अपील दोनो पक्षों को सुनकर प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 19–3–15 को अपील स्वीकार की जाकर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया कि वे प्रार्थी के कब्जे काश्त में वर्णित उक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे उक्त भूमि को रहन बैचान एंव खुर्द बुर्द नहीं करे उक्त कृत्य न तो स्वंय करें और न ही अपने प्रतिनिधि से करवाये। उक्त अपील में श्रीमान द्वारा समस्त तथ्यो को देखकर उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व अधिकार मानते हुए उक्त आदेश प्रदान किया है जो वर्तमान में भी प्रभावी है। कुछ समय से विपक्षी संख्या 1 व 2 पुलिस के अधिकारी विपक्षी संख्या 3 व 4 व पटवारी विपक्षी संख्या 5 से मिलकर उक्त भूमि पर कब्जा करने का षडयंत्र कर रहे है तथा विपक्षी संख्या 1 व 2 शेष विपक्षी संख्या 3 व 4 को साथ लेकर तथा विपक्षी संख्या 6 व 7 का ट्रैक्टर लेकर मौके पर आ गये और प्रार्थी को धमकी दी कि हम उक्त भूमि पर ताकत के बल पर विपक्षी संख्या 1 व 2 को कब्जा दिलवायेंगे अगर रूकावट पैदा करी तो प्रार्थी को गिरफतार करके जेल में डाल देगे । प्रार्थी ने कहा कि उक्त जमीन बाबत सक्षम न्यायालय द्वारा मेरे पक्ष

में आदेश दिया हुआ है इस कारण आपको उक्त कृत्य करने का अधिकार नहीं है किन्तु वह नहीं माने तथा कहा कि हम न्यायालय के आदेशो की परवाह नहीं करते है ऐसे आदेश तो होते रहते है हम तो विपक्षीगण को उक्त जमीन पर कब्जा दिलवा के रहेगे अगर प्रार्थी ने कब्जा नहीं दिया तो उसको झूठे मुकदमे में फसा कर उसे गिरफतार कर लेंगे तथा उसकी जमानत नहीं होने देंगे। प्रार्थी वृद्ध व्यक्ति है तथा हार्ट के पेसेन्ट है जिससे प्रार्थी को काफी सदमा पहुंचा है तथा वह बीमार हो गये है तथा उक्त सदमे से प्रार्थी के दोनो पैरो को काम करना बन्द हो गया है तथा विपक्षीगण ने मिलकर उक्त भूमि पर खडी गेहूँ की फसल में से लगभग 5–6 बीघा भूमि नष्ट कर दी जिससे प्रार्थी को लगभग 50,000 रू० का नुकसान हो गया है। विपक्षी संख्या 3 हल्का पटवारी है वह भी शेष विपक्षी से मिलकर राजस्व रिकार्ड में श्रीमान के निर्णय के नोट को हटा दिया तथा कानून हाथ में लेकर 5 साल का कब्जा विपक्षी संख्या 1 व 2 का लिख दिया। जबकि न्यायालय श्रीमान द्वारा उक्त भूमि पर समस्त दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का कब्जा माना है तथा पूर्व पटवारी द्वारा भी प्रार्थी के कब्जे की पुष्टि की है। इसके उपरान्त भी विपक्षी संख्या 3 उक्त फर्जी कब्जे की रिपोर्ट बनवाकर थाने में दी है तथा उन्होने शेष विपक्षी से कहा है कि जमीन पर कब्जा करो न्यायालय के आदेश तो ऐसे ही होते रहते है इसकी परवाह मत करो जो दादा है वहीं कब्जा रखेगा। प्रार्थी ने पुलिस के अधिकारियो से एंव तहसीलदार साहब से उक्त तथ्यो की जानकारी दी कि अधिनस्थ कर्मचारी न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहे है उन्हें रोका जावे किन्तु प्रार्थी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है अलबत्ता अभी पता चला है कि श्रीमान तहसीलदार साहब बून्दी ने राजस्व रिकार्ड में श्रीमान के निर्णय का पुनः नोट लगाने का आदेश प्रदान कर दिए है। अभी भी समस्त विपक्षीगण ने ठेका करके उक्त भूमि पर विपक्षी संख्या 1 व 2 को कब्जा कराने की घोषणा की है तथा कहा कि हम न्यायालय के आदेश की परवाह नहीं करेंगे तथा भूमि पर कब्जा कानून हाथ में लेकर विपक्षीगण को दिलवाकर रहेंगे। विपक्षीगण के उक्त कृत्य से श्रीमान के आदेश दिनाक 19–3–15 की खुली अवहेलना हो रही है। उपरोक्त स्थिति में विपक्षीगण को तुरन्त तलब फरमाया जाकर बाद जांच सिविल जैल भिजवाया जावे तथा भविष्य में उक्त भूमि बाबत विवाद नहीं करने हेतु पाबन्द फरमाया जावे। अन्त में विपक्षीगण को तुरन्त तलब किया जाकर बाद जांच सिविल जैल की सजा से दण्डित किये जाने तथा भविष्य में उक्त कृत्य नहीं करने हेतु विपक्षीगण को पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

6. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1, 2, 6, 7 ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया तथा प्रार्थी के कथनों को असत्य बताते हुए अस्वीकार किया। साथ ही कथन किया कि अप्रार्थी भंवरलाल का आवेदन पत्र में अंकित भूमि से कोई लेना देना नहीं है। भंवरलाल अप्रार्थी मोहनलाल का ननीहाल पक्ष का रिश्तेदार होने से

पक्षकार बनाया है। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 6, 7 द्वारा न्यायालय हाजा के किसी भी आदेश की अवहेलना नहीं की गई है। जिस भूमि के संबंध में कार्यवाही की गई है उस पर पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है, इस बात की पुष्टि राजस्व विभाग की रिपोर्ट से होती है। प्रार्थी ने पुलिस में भी रिपोर्ट की है। पुलिस जांच में भी विवादित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा साबित नहीं है। हमारे द्वारा जानबूझकर ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया है जिससे न्यायालय हाजा के आदेश की अवहेलना होती हो। जवाबकर्ता का विकल्प में निवेदन है कि जवाबकर्ता शुद्ध हृदय से क्षमा याचना की प्रार्थना करता है। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 6, 7 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में आगे निवेदन किया कि अप्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय के आदेश की कोई अवहेलना नहीं की। मौका–रिपोर्ट से सही स्थिति स्पष्ट है। प्रार्थीगण प्रार्थना–पत्र के कथनों को साबित करने में असफल रहे है। प्रार्थीगण ने शपथ–पत्रों पर कोई जिरह आदि भी नहीं करवाई है। शपथ–पत्र सही रूप से प्रस्तुत नहीं करने से कंटेम्प्ट की कार्यवाही का कोई अर्थ ही नहीं रहता है। प्रार्थी कोई साक्ष्य ही अपने कथनों के समर्थन में प्रस्तुत नहीं कर पाए है। प्रार्थी को प्रार्थना–पत्र व कन्टेम्प्ट को साबित करना होता है, न्यायालय के समक्ष ऐसे कोई साक्ष्य, दस्तावेज नहीं है जिससे प्रार्थी अपने कथनो को साबित करता हो। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र प्रथम दृष्ट्या ही खारिज किये जाने योग्य है। अन्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र वास्ते कार्यवाही अवहैलना को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 5 ने जवाब प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया कि विवादित भूमि के सम्बंध में कोई विचाराधीन वाद व स्टे की जानकारी अप्रार्थी संख्या 5 को नहीं है। उसके द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से मिलकर कोई षड़यंत्र नहीं किया गया है। न्यायालय में विचाराधीन वाद की जानकारी भी अप्रार्थी संख्या 5 को नहीं है तथा अप्रार्थी संख्या 5 ने राजस्व रिकॉर्ड से विवादित भूमि के सम्बंध में कोई नोट भी नहीं हटाया है। अप्रार्थी संख्या 5 की विवादित भूमि के सम्बंध में किसी पक्षकार से कोई बात भी नहीं हुई। अप्रार्थी संख्या 5 ने राजस्व रिकॉर्ड जिस स्थिति में सम्भाला उसी स्थिति में वर्तमान में भी मौजूद है। राजकीय कार्य के दौरान माननीय न्यायालय या उच्च अधिकारियों से विवादित भूमि के सम्बंध में कोई आदेश प्राप्त होंगे तो अप्रार्थी संख्या 5 उसकी पालना करेगा। अप्रार्थी संख्या 5 को माननीय न्यायालय के आदेश की कोई जानकारी नहीं है। अप्रार्थी संख्या 5 हमेशा माननीय न्यायालय व उसके आदेशों का सम्मान करती है और आगे भी करती रहेगी। अप्रार्थी संख्या 5 ने विवादित भूमि के सम्बंध मे माननीय न्यायालय के किसी आदेश की अवहेलना नहीं की है न ही अप्रार्थी संख्या 5 को विवादित भूमि के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की जानकारी है। प्रार्थना–पत्र में मांगे गए अनुतोष से अप्रार्थी संख्या 5 का कोई सम्बंध नहीं है। साथ ही अपनी बहस

में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत कन्टेम्ट प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 08.01.2020 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण अपने प्रार्थना–पत्र में तथा मौखिक बहस में यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि अप्रार्थीगण विपक्षीगण ने किस माह व किस तारीख को प्रार्थी की फसल को नष्ट कर दिया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र व बहस में अनुमान पर केवल कुछ समय पूर्व या कुछ समय पर घटना होने का कथन किया है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र में स्पष्टता का अभाव है। प्रार्थी को अपने कथनों को स्वयं साबित करना होता है। प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। सभी अप्रार्थीगण को कब प्रश्नगत निर्णय की जानकारी हुई, यह भी स्पष्ट नहीं है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में सम्बंधित धाराओं व प्रावधानों का अंकन भी नहीं किया है। शपथ–पत्रों पर जिरह भी करवानी चाहिए थी। प्रार्थी को अपने कथनों में स्पष्ट व सटीक आरोप लगाकर साबित करना चाहिए था, जिसमें प्रार्थी असफल रहा है। कोर्ट ऑफ कन्टैम्प की कार्यवाही में प्रार्थी को स्पष्टतया शपथ–पत्रों, बयानों, दस्तावेजों एवं अन्य सम्बंधित साक्ष्यों से अपने कथनों को साबित करना होता है। प्रार्थी अपने कथनों को साबित करने में असफल रहा। प्रार्थी घटना का कोई स्पष्ट समय, तिथि, माह बताने में असफल रहा है। प्रार्थी प्रार्थना–पत्र के कथनों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाने के कारण इसे साबित करने में असफल रहा है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत कार्यवाही अवहैलना खारिज किये जाने योग्य हे।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत कार्यवाही अवहैलना खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

10. निर्णय आज दिनांक 10.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा